

## कार्यालय ज्ञाप


कृपया अवगत कराना है कि उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा रैंकर उपनिरीक्षक ना0पु0 रैंकर के पद पर विभागीय लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं समूह परिसंवाद की प्रक्रिया के उपरान्त परीक्षाफल तैयार कराया जाना है, जिसके लिये निम्नलिखित कार्य कराये जाने हैं, निम्न कार्य कराये जाने हेतु आपकी फर्म से कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं,

क्र0सं0	कार्य का विवरण
1	यह परीक्षा तीन चरणों में तीन प्रश्नपत्रों, लिखित परीक्षा, सेवा अभिलेखों तथा समूह परिसंवाद के रूप में सम्पादित कराई गई है। अतः लिखित परीक्षा, सेवा अभिलेखों तथा समूह परिसंवाद (ग्रुप डिस्कशन) के अलग-अलग डाटबेस से अंकों को जोड़कर अन्तिम परीक्षाफल तैयार करना।
2	चूंकि यह परीक्षा वर्ष-1999 से 2008 तक की रिक्तियों के सापेक्ष आयोजित की गयी है। अतः परीक्षाफल वर्षवार तथा अभ्यर्थियों की अर्हता के अनुसार मय अंक तालिका के तैयार किया जायेगा। इसमें अन्य सूचना के अतिरिक्त असफल अभ्यर्थियों की सूची यह इंगित करते हुये कि उनके क्या अंक थे तथा किन-किन वर्षों के लिये वह अर्ह थे, भी दी जायेगी।
3	परीक्षाफल 02 तरह से तैयार किया जायेगा:- 1- आरक्षण को ध्यान में रखकर। 2- बिना किसी आरक्षण के।
4	फर्म द्वारा परीक्षा परिणाम साफ्टकापी तथा हार्डकापी में प्रदान किया जायेगा।
5	परिणाम तैयार करने में प्रयुक्त लाजिक पर टिप्पणी भी बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

इच्छुक फर्म अपने शीलबन्द कोटेशन दिनांक 07-11-2011 को अपरान्ह 03.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

### नोट:-

- 1- कृपया उपर्युक्त तालिका में कम्पनी द्वारा किये जाने वाले कार्यों की दर तथा टैक्स की दरें अलग-अलग प्रदर्शित करें।
- 2- उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उपरोक्त कार्य किसी भी एक फर्म को या अलग-अलग फर्मों को उनके द्वारा प्रदत्त कोटेशनों के आधार पर अथवा अपने संसाधनों से करा सकता है।
- 3- लिखित परीक्षा, सेवा अभिलेख एवं समूह परिसंवाद के अंक बोर्ड द्वारा प्रदान करने के 72 घण्टे के अन्दर फर्म को कार्य सम्पन्न करना होगा।
- 4- कोटेशनकर्ता फर्म कृपया कोटेशन के साथ निम्न अभिलेख अवश्य प्रदान करने का कष्ट करें:-  
(क) फर्म द्वारा उपरोक्त कार्य विवरण के पूर्व अनुभव का विवरण।  
(ख) फर्म द्वारा उपरोक्त कार्य किस प्रकार सम्पादित किया जायेगा एवं कार्य के दौरान उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों एवं साफ्टवेयर का विवरण।  
(ग) बोर्ड द्वारा पारदर्शिता तथा निष्पक्षता पर विशेष जोर दिया जाता है। अतः जो फर्म ऐसा विधि/प्रक्रिया प्रस्तावित करेगी जिससे ज्यादा पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बनाई जा सके। ऐसे वेण्डरों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।  
(घ) सभी फर्म अपने कोटेशन के साथ रू0 10,000/- का कास चेक अपर सचिव, प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के नाम से सिक्युरिटी मनी के तौर पर प्रदान करेंगी। कोटेशनों के आधार पर जिस फर्म को कार्य प्रदान किया जायेगा उसके अतिरिक्त अन्य फर्मों की सिक्युरिटी मनी का चेक बोर्ड द्वारा वापस कर दिया जायेगी एवं कार्य करने वाली फर्म को कार्य के सम्पादन के उपरान्त सिक्युरिटी मनी वापस कर दी जायेगी।  
(ङ) बोर्ड द्वारा जिस भी फर्म को कार्य प्रदान किया जायेगा वह कार्य के सम्पादन में पूर्ण गोपनीयता बनाकर रखेगी।  
(च) बोर्ड द्वारा कार्यदायी फर्म की प्रत्येक त्रुटि पर रू0 1,000/- की पेनाल्टी का प्रावधान होगा तथा विलम्ब करने पर रू0 1,000/- प्रति दिवस की कटौती की जायेगी।  
(छ) कार्य को समझने के लिये यदि कोई प्रश्न हो तो फर्म अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।



( ए0के0 सिंह )

अपर सचिव, प्रोन्नति

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,  
लखनऊ।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,

तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19सी विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक: पीआरपीबी-चार-4(10)-2011

दिनांक: नवम्बर 02, 2011